

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Writ Petition No. 1355/2024

Nanlal S/o Shri Sohanlal, Aged About 40 Years, R/o Railmagra,
Police Station Railmagra, District Rajsamand.

-----Petitioner

Versus

Kamla W/o Nanlal, R/o Railmagra, Police Station Railmagra,
District Rajsamand.

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Bharat Shrimali Ms. Varsha Purohit
For Respondent(s)	: Mr. Sharwan Bishnoi, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

02/08/2024

अयाची को चार सप्ताह तक वापसी योग्य नोटिस जारी हो।

योग्य अधिवक्ता याची की ओर से यह निवेदन किया कि याची अस्थाई सेवा अनुबंध पत्र के तहत जिला परिषद में सेवारत है, स्थाई कर्मचारी नहीं है, उसकी प्रतिमाह आय 10,000/-रुपये व 2,000/-रुपये प्रतिमाह भत्ता है। याची की 7,000/-रुपये अंतरिम भरण पोषण राशि के अदायगी की हैसियत नहीं है। अयाची की कॉल डिटेल्स पत्रावली पर प्रस्तुत की गई है, जिसके मुताबिक अन्य व्यक्ति से लगातार फोन पर अयाची बात करती है। सुरेन्द्र गुरुजी के साथ फोटो पेश किये हैं, जिसके साथ अयाची रह रही है। याची के पास बच्चे भी अयाची छोड़कर गई है। अतः इस आधार पर विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थगित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

आगामी आदेश तक विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय रेलमगरा, जिला राजसमंद द्वारा प्रकरण संख्या 252/2022 (सीआईएस नंबर 355/2022) कमला बनाम नानालाल में पारित आदेश दिनांकित 09.05.2024 के क्रियान्वयन को स्थगित किया जाता है।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध हो।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J